रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 13, 1986/भाद्र 22, 1908

No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 13, 1986/BHADRA 22, 1908

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1986

संकल्प

संख्या 14(1)/आई. सी./86 —भारत सरकार ने चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की स्थापना संकल्प संख्या 5(56)-ई.III/83, दिनांक 29 जुलाई, 1983 द्वारा की थी, जिसमें संकल्प संख्या 5(56)-ई-III/83, दिनांक 16 फरवरी, 1985 और संकल्प संख्या 5(56)-ई.-III/83, दिनांक 8 नवम्बर, 1985 के माध्यम से संशोधन भी किए गए थे। आयोग ने 30 जून, 1986 को अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया, जिसका संबंध संघीय राज्य क्षेत्रों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मचारियों की परिलब्धियों, भत्तों, तथा सेवा की शर्तों की व्यवस्था से था। सरकार ने वर्ग "ख", "ग" तथा "घ" के केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के इन वर्गों के संबंध में आयोग की सिफारिशों को नीचे दिए गए सुधार करके स्थूल रूप में स्वीकार कर लिया जाए:—

(i) आयोग ने जिन प्रस्तावित वेतनमानों का निर्धारण किया है उनमें निहित वेतन-निर्धारण फार्मूले के अनुसार मूल वेतन के 20 प्रतिशत पर परिकलित किए जाने वाले न्यूनतम लाभ को 50/- रुपए से बढ़ाकर 75/- रुपए कर दिया जाएगा।

(ii) आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित पहले तीन निम्नतम वेतनमानों (वर्ग "घ" के कर्मचारियों से संबंधित) में वेतन-वृद्धि की दरों में सुधार किया जाएगा और वर्ग "घ" के कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान अब इस प्रकार से होंगे :—

आयोग की सिफारिश के अनुसार	सरकार द्वारा संशोधित रूप में
750-8-790-द.रो.-10-940 रुपए	750-12-870-द.रो.-14-940
775-10-965-द.रो.-12-1025 रुपए	775-12-955-द.रो.-14-1025
800-12-920-द.रो.-15-1070-20-1150 रुपए	800-15-1010-द.रो.-20-1150

(iii) वेतनमानों से संबंधित आयोग की सिफारिशों को 1-4-1986 की बजाए, जिसकी सिफारिश आयोग ने की है, 1-1-86 से लागू किया जाएगा ।

(iv) मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मुआवजे की (महंगाई भत्ते) की छमाही आधार पर अदायगी की व्यवस्था आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पहली सितम्बर और पहली मार्च से किए जाने के बजाए पहली जुलाई से लागू होगी और तत्संबंधी अदायगी सितम्बर के वेतन के साथ की जाएगी और आगे चलकर पहली जनवरी से लागू होगी जिसकी अदायगी मार्च के वेतन के साथ की जाएगी ।

2. केन्द्रीय सरकार के वर्ग "ख", "ग" और "घ" के असैनिक कर्मचारियों के संबंध में आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उनको इस संकल्प से संलग्न विवरण में प्रकट कर दिया गया है । आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को इस अनुबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, उन पर सरकार विचार कर रही है और उनके संबंध में भी यथासंभव शीघ्र निर्णय ले लिए जाएंगे ।

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों से संबंधित विभिन्न जटिल समस्याओं का समाधान करने तथा इस विषय पर एक प्रशस्त सारवान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार आयोग द्वारा किए गए इस महत् कार्य की अत्यधिक सराहना करती है ।

ए. रंगाचारी, अपर सचिव

अनुबंध

समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें तथा उन पर सरकार के निर्णय दर्शाने वाला विवरण (विवरण में अध्यायों और पैराग्राफ का संदर्भ वेतन आयोग की रिपोर्ट से है)

क्रम सं.	चौथे वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
(1)	(2)	(3)
वेतन		
1.	(i) 160-170 रु. के वर्तमान वेतनमान में समूह 'घ' के कर्मचारियों की सिफारिशों के अनुसार 750/- रु. का न्यूनतम वेतन तब तक दिया जाए, जब तक कि उनको भरती के लिए निर्धारित आयु सीमा प्राप्त करने पर नियमित वेतनमान न दिया जाए । (अध्याय 8, पैराग्राफ 8.14)	स्वीकार कर ली गई ।
	(ii) समूह 'घ', 'ग' और 'ख' के कर्मचारियों के लिए आयोग ने अध्याय 8 में निम्नलिखित 21 संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है : 1. 750-8-790-द.रो.-10-940 रु. 2. 775-10-965-द.रो.-12-1025 रु. 3. 800-12-920-द.रो.-15-1070-20-1150 रु. 4. 825-15-900-द.रो.-20-1200 रु. 5. 950-20-1150-द.रो.-25-1400 रु. 6. 950-20-1150-द.रो.-25-1500 रु. 7. 975-25-1150-द.रो.-30-1540 रु. 8. 975-25-1150-द.रो.-30-1660 रु. 9. 1150-25-1500 रु. 10. 1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु. 11. 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रु. 12. 1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रु. 13. 1350-30-1440-40-1800-द.रो.-50-2200 रु. 14. 1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु. 15. 1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु. 16. 1600-50-2300-द.रो.-60-2660 रु. 17. 1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु. 18. 2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु. 19. 2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु. 20. 2000-60-2120 रु.	निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई : क्रम सं. 1, 2 और 3 के वेतनमानों में इस प्रकार संशोधन किया जाएगा :— 1. 750-12-870-द.रो.-14-940 रु. 2. 775-12-955-द.रो.-14-1025 रु. 3. 800-15-1010-द.रो. 20-1150 रु.

(1)	(2)	(3)
	21. 2375-75-3200-द.रो.-100-3500 रु. (अध्याय 8, पैराग्राफ 8.9 और 8.73)	
	(iii) जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश अध्याय 8 में की गई है, वे उन पदों को छोड़कर जिनके लिए विस्पष्ट रूप से अध्याय 9, 10, 11 और 27 में सिफारिशें की गई हैं, सभी पदों पर लागू होंगे। भविष्य में सृजित किए जाने वाले किसी भी पद को आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किसी भी एक या दूसरे वेतनमान में रख सकना संभव होना चाहिए। (अध्याय 8, पैराग्राफ 8.9 और 8.72)	स्वीकार कर ली गई।
	(iv) कतिपय पदों अथवा कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में आयोग ने रिपोर्ट के अध्याय 9, 10, 11 और 27 में स्पष्ट सिफारिशें की हैं।	पुलिस कार्मिकों के वेतनमानों में कतिपय परिवर्तन करते हुए स्वीकार कर ली गई है, जिनको अलग से अधिसूचित किया जा रहा है।
2.	उन कर्मचारियों को राहत देने के प्रयोजन से जो कि अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हों, संबंधित वेतनमानों की अधिकतम सीमा प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक दो वर्ष की अवधि की पूर्ति हो जाने पर वर्ग 'ख', 'ग' और 'घ' के अन्तर्गत आने वाले समस्त काडरों में एक अवरोधवाहक वार्षिक वेतन-वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए। अधिक से अधिक तीन वार्षिक वेतन-वृद्धियां दी जा सकेंगी। (अध्याय 23, पैराग्राफ 23.10)	स्वीकार कर ली गई। अवरोधवाहक वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने से संबंधित वर्तमान शर्तें बराबर जारी रहेंगी।
3.	प्रस्तावित वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतन को पैरा 30.2 (अध्याय 30) में विहित रीति के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।	इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई कि कम से कम लाभ 50 रुपए की बजाय 75 रुपए होना चाहिए। केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 अलग से जारी की जा रही है।
	मूल्यवृद्धि के लिए मुआवजा	
4.	(i) जब तक सरकार किसी नए सूचक अंक को प्रतिष्ठापित नहीं करती तब तक मूल्य वृद्धि के लिए कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने के प्रयोजन से औद्योगिक कर्मचारी (सामान्य) अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960=100) को ही उपयोग में लाया जाना चाहिए।	इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई कि मूल्य वृद्धि का मुआवजा सितम्बर के वेतन के साथ पहली जुलाई से और मार्च के वेतन के साथ पहली जनवरी से अदा किया जाएगा।
	(ii) 12 महीनों के सूचक अंकों के 608 के औसत (1960=100), जिससे सिफारिशों के अनुसार निर्धारित वेतनमान संबंधित हैं, से ऊपर मूल्य वृद्धि हो जाने पर मुआवजा अदा किया जाना चाहिए।	टिप्पणी : वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13017/1/86-ई-II(बी), दिनांक 24-6-1986 के द्वारा 1-4-86 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जिन किस्तों की मंजूरी दी गई है और उसके अनुसरण में अप्रैल, मई और जून, 1986 में जिन धनराशियों की अदायगी कर दी गई है, उनको संशोधित फार्मूले वेतनमानों के संशोधन के कारण देय बकाया राशि के अनुसार अदा किए जाने वाले महंगाई भत्ते में समायोजित कर दिया जाएगा।
	(iii) मुआवजे की मंजूरी मार्च और सितम्बर के वेतनों के साथ अदा किए जाने के लिए एक वर्ष में दो बार प्रदान की जानी चाहिए।	
	(iv) उपर्युक्त सूचक अंक के 12 महीनों के औसत में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर और जून में समाप्त होने वाली अवधियों में 608 के औसत सूचक अंक से जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो उसे केवल सम्पूर्ण अंकों में ही ग्रहण किया जाना चाहिए और भिन्नात्मक वृद्धि को अपेक्षित कर देना चाहिए।	
	(v) मूल वेतन पर कर्मचारियों को अदेय मुआवजे की दर, सूचक अंक के 608 अंक के औसत पर भी पूर्णांकों में परिकलित की जानी चाहिए और भिन्नों को ही अपेक्षित किया जाना चाहिए।	
	(vi) जो कर्मचारी 3500 रुपए तक का मूल वेतन ले रहे हैं, उनके लिए 100 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि निराकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।	
	(vii) मुआवजे को परिलब्धियों के एक अलग तत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाते रहना चाहिए। (अध्याय 13, पैराग्राफ 20)	

(1)	(2)	(3)

विशेष वेतन :

5. (i) कुछ मामलों में आयोग ने संशोधित वेतनमानों की सिफारिश की है, जिनमें विशेष वेतन भी सम्मिलित है। प्रस्तावित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि विशेष वेतन की मौजूदा दरों को जहां कहीं लागू हों, 500 रुपये की प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अंतर्गत दुगुना कर दिया जाए।
(अध्याय 24, पैराग्राफ 24.3)

स्वीकृत। संबंधित मंत्रालय/विभाग उन पदों की, जिनके लिए इस समय विशेष वेतन लागू है, ध्यान से समीक्षा करेंगे ताकि विशेष वेतन वाले पदों की संख्या को सीमित किया जा सके, तथा समीक्षा के परिणामों की रिपोर्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास 31.12.1986 से पहले भेज देंगे।

(ii) **कैशियरों के लिए विशेष वेतन :**

कैशियरों को निम्नलिखित दरों पर विशेष वेतन दिया जाए :

प्रतिमास संभाली जाने वाली नकदी की औसत राशि	मासिक विशेष वेतन की दर
75,000/- रुपए तक	50 रुपए
75000 रु. से अधिक और 2,00,000 रु. तक	75 रुपए
2,00,000 रु. से अधिक और 5,00,000 रु. तक	100 रुपए
5,00,000 रु. से अधिक	125 रुपए

(अध्याय 11, पैराग्राफ 11.56)

स्वीकृत।

6. **प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता :**

सरकार आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति भत्ते की दरें उपयुक्त रूप से निर्धारित करे। प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन की प्रतिशतता के रूप में नहीं बल्कि निश्चित दर पर दिया जाए।

प्रतिनियुक्ति भत्ता एक ही शहर, आदि में स्थानान्तरण के लिए, 250 रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन, मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से और अन्य मामलों में, 500 रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन, मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से दिया जाना चाहिए।

प्रतिपूरक भत्ते :

7. (i) शहरों को वहां की तुलनात्मक महंगाई के आधार पर वर्गीकृत करना बड़ा पेचीदा और काफी समय लगने वाला कार्य है। इस सुझाव को स्वीकार करना कठिन है कि नगर पूरक भत्ता सभी स्थानों पर दिया जाए क्योंकि सामान्य निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति समय-समय पर महंगाई भत्ते की अदायगी की स्कीम द्वारा की जाती है।
(अध्याय 17, मद 1, पैरा 17.3)

स्वीकृत।

(ii) विभिन्न वेतन सीमाओं वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित निश्चित दरों पर नगर पूरक भत्ता अदा किया जाए :

वेतन-सीमा (बुनियादी वेतन)	निम्न श्रेणियों के शहरों में नगर पूरक भत्ते की राशि (रुपए – प्रति मास)		
	क	ख-1	ख-2
950 रु. से कम	30	25	20
950 रु. और उससे अधिक किन्तु 1500 रु. से कम	45	35	20
1500 रु. और उससे अधिक किन्तु 2000 रु. से कम	75	50	20
2000 रु. और उससे अधिक	100	75	20

स्वीकृत, सिवाय इस बात के कि उन 14 विशेष स्थानों के लिए, जहां पर ख-2 श्रेणी के शहरों पर लागू दरों पर नगर पूरक भत्ता अदा किया जा रहा है, नए आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

मकान किराया भत्ता :

8. (i) नगरों के जनसंख्या पर आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में मकान किराया भत्ता देने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए।
(अध्याय 14, पैरा 14.25)

स्वीकृत।

(ii) नगरों को भी वर्तमान तीन श्रेणियों अर्थात क, ख-1 और ख-2 तथा ग में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाए। उन अवर्गीकृत शहरों/कस्बों में भी मकान किराया भत्ता अदा किए जाने की वास्तविक आवश्यकता है, जहां यह अभी प्रयोज्य नहीं है।
(अध्याय 14, पैरा 14.25)

स्वीकृत।

(1)	(2)	(3)

(iii) सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की अदायगी उस टाइप के सरकारी आवास के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसके लिए वे अपनी वेतन सीमा के आधार पर हकदार है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष टाइप के आवास के अनुसार, किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता निश्चित राशि में देय होनी चाहिए जो तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उसकी हकदारी में परिवर्तन नहीं हो जाए।
(अध्याय 14, पैरा 14.26)

स्वीकृत

(iv) कर्मचारियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणियों के शहरों में उन्हें देय मकान किराए भत्ते की राशि निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए :—

जिस टाइप के आवास के लिए हकदार हैं	हकदारी के लिए प्रस्तावित वेतन-मानों में वेतन-सीमा	निम्न श्रेणियों के शहरों में देय मकान किराए भत्ते की राशि			
		क, ख-1 और ख-2 श्रेणी के शहर	ग श्रेणी के शहर	अवर्गीकृत स्थान	
क	750—949	150	70	30	स्वीकृत
ख	950—1499	250	120	50	(केवल समूह 'ख', 'ग' और 'घ' पर लागू)
ग	1500—2799	450	220	100	
घ	2800—3599	600	300	15[illegible]	

(अध्याय 14, पैरा 14.27)

(v) उपर्युक्त दरों पर मकान किराया भत्ता सभी कर्मचारियों को (उनको छोड़कर, जिन्हें सरकारी/किराए पर लिया गया आवास प्रदान किया गया है) प्रदान किया जाए, और इसके लिए उन्हें किराए की रसीद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके लिए यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिए कि वे किराए पर कुछ व्यय कर रहे हैं/किराए के संबंध में कुछ अंशदान कर रहे हैं। अपने स्वयं के मकानों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उपर्युक्त दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाए, बशर्ते कि वे यह प्रमाण पत्र दें कि वे मकान अथवा सम्पत्ति कर अथवा मकान के अनुरक्षण के संबंध में अदायगी/अंशदान कर रहे हैं।
(अध्याय 14 पैरा 14.27)

स्वीकृत

(vi) उन मामलों में, जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराए के बिना अलाट किए गए सरकारी आवास को शेयर करता है अथवा अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पत्नी, अथवा पति को अलाट हुए सरकारी आवास में रहता है/रहती है, जो अन्य शर्तें इस समय लागू हैं, वे लागू होनी रहेंगी।
(अध्याय 14, पैरा 14.27)

स्वीकृत

(vii) कुछ मामलों में वेतन की सीमा पर, जहां तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है पाबन्दियां लगी हुई हैं। उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय वेतन के 15 प्रतिशत दर पर मकान किराया भत्ता देय है, वह उन दरों पर अदा किया जाए, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा क, ख-1 और ख-2 श्रेणी के नगरों के लिए की गई हैं। उन अन्य मामलों में, जिन पर विशेष आदेश लागू होते हैं, मकान किराया भत्ता उन दरों पर अदा किया जाए, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग ने ग श्रेणी के नगरों के लिए की है। इन दोनों मामलों में मकान किराया भत्ते के लिए वेतन की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिए।
(अध्याय 14, पैरा 14.28)

स्वीकृत

(viii) जब तक सरकार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और द्वीव में विशेष आदेशों के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता देना जारी रखती है, तब तक यह उन दरों पर दिया जाए, जिनकी सिफारिश वेतन आयोग द्वारा ग श्रेणी के नगरों के लिए की गई है।
(अध्याय 14, पैरा 14.29)

स्वीकृत

५. पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता/शीतकालीन भत्ता

उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता देय है, नमूने वर्ष पर वर्तमान पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते और शीतकालीन भत्ते को मिलाकर एक संयुक्त भत्ता दिया जाए, जिसकी दरें निम्नलिखित हैं :—

स्वीकृत

बुनियादी वेतन	संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दर (रुपए)
950 रुपए से कम	50
950 रुपए और उससे अधिक लेकिन 1500 रुपए से कम	70
1500 रुपए और उससे अधिक लेकिन 2000 रुपए से कम	120
2000 रुपए और उससे अधिक	150

(अध्याय 17, मद 11, पैरा 17.8)

(1)	(2)	(3)
10. प्रतिकूल जलवायु भत्ता		
	प्रतिकूल जलवायु भत्ता सरकारी कर्मचारियों को खराब जलवायु वाले क्षेत्रों में सेवा संबंधी कठिनाइयों के मुआवजे के रूप में दिया जाता है। यह भत्ता उन स्थानों पर दिया जाता है, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को भत्ता देने के लिए प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र घोषित किया गया हो। प्रतिकूल जलवायु भत्ता मौजूदा मानदण्डों के आधार पर, लेकिन वेतन की किसी उच्चतम सीमा के बिना, इन निम्नलिखित दरों पर दिया जाना चाहिए :—	स्वीकृत

वेतन-सीमा	प्रतिकूल जलवायु भत्ते की मासिक दर (रुपए)
950 रुपए से कम बुनियादी वेतन	20
950 रुपए और उससे अधिक लेकिन 1500 रुपए से कम बुनियादी वेतन	40
1500 रुपए और उससे अधिक लेकिन 2000 रुपए से कम बुनियादी वेतन	60
2000 रुपए और उससे अधिक लेकिन 3000 रुपए से कम बुनियादी वेतन	80
3000 रुपए और उससे अधिक बुनियादी वेतन	100

(अध्याय 17, पैरा 17.14)

11. परियोजना/निर्माण भत्ता		
	केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो बृहद परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में अविकसित और एकान्त स्थानों पर काम कर रहे हों, परियोजना/निर्माण भत्ता दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें परियोजना स्थल पर आवास, स्कूलों, मार्केट, औषधालयों जैसी सुविधाओं के अभाव के लिए मुआवजा देना है। जब ये सुविधाएं परियोजना-स्थल पर अथवा उसके निकट उपलब्ध हो जाती हैं, तो यह भत्ता चरण-बद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाता है। 1970 से शुरू होने वाले दशक में सरकार ने परियोजना भत्ता देने के मार्ग-दर्शक निदेशों और उसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को दोष-रहित बनाया था। इसके बाद परियोजना भत्ता परियोजना-क्षेत्रों में परियोजना-भिन्न कर्मचारियों को दिया जाने लगा, जिसकी दर परियोजना कर्मचारियों को देय भत्ते की दरों की 50 प्रतिशत थी। परियोजना भत्ते की अदायगी का विनियमन करने वाले मौजूदा निदेशों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए :—	स्वीकृत

वेतन-सीमा	परियोजना-भत्ते की मासिक दरें (रुपए)
950 रुपए से कम बुनियादी वेतन	75
950 रुपए और उससे अधिक लेकिन 1500 रुपए से कम बुनियादी वेतन	150
1500 रुपए और उससे अधिक लेकिन 2000 रुपए से कम बुनियादी वेतन	225
2000 रुपए और उससे अधिक लेकिन 3000 रुपए से कम बुनियादी वेतन	300
3000 रुपए और उससे अधिक बुनियादी वेतन	375

(अध्याय 17, पैरा 17.17)

(1)	(2)	(3)
12. विशेष प्रतिपूरक भत्ता	सीमा क्षेत्र भत्ते, दुरस्थ स्थान भत्ते और कठिन क्षेत्र भत्ते के रूप में दिए जाने वाले विशेष प्रतिपूरक भत्ते की दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मोटे रूप से एक ही प्रकार की स्थानीय कठिनाइयों, स्थितियों, आदि वाले स्थानों के मामले में उनमें कुछ एकरूपता लाई जा सके। द्वीपीय क्षेत्रों के मामले में दो विभिन्न किस्मों के भत्ते के स्थान पर एक ही संयुक्त प्रतिपूरक भत्ता देना वांछनीय होगा। इसके अलावा, ये भत्ते एक-समान दरों पर दिए जाने चाहिएं। सिफारिश किए गए वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए, ये भत्ते निम्नलिखित दरों पर दिए जाएं :	स्वीकृत

क्रम सं. क्षेत्र	विशेष प्रतिपूरक भत्ते की मासिक दरें (रुपए)				
	950 रुपए से कम बुनियादी वेतन	950 रु. और उससे अधिक किन्तु 1500 रु. से कम बुनियादी वेतन	1500 रु. और उससे अधिक किन्तु 2000 रु. से कम बुनियादी वेतन	2000 रु. और उससे अधिक किन्तु 3000 रु. से कम बुनियादी वेतन	3000 रु. और उससे अधिक बुनियादी वेतन
1. पैरा 17.9 में दी गई सारणी के क्रम सं. 1 से 10 में सूचीबद्ध क्षेत्र	150	250	350	500	650
2. पैरा 17.9 में दी गई सारणी के क्रम सं. 11 से 17 में सूचीबद्ध क्षेत्र	125	200	275	400	[illegible]
3. पैरा 17.9 में दी गई सारणी के क्रम सं. 18 से 24 में सूचीबद्ध क्षेत्र	75	150	225	300	[illegible]
4. पैरा 17.9 में दी गई सारणी के क्रम सं. 25 और 26 में सूचीबद्ध क्षेत्र (पैरा 17, पैरा 17.11)	20	40	60	80	100

(1)	(2)	(3)
13. मिजोरम म गड़बड़ी वाला क्षेत्र भत्ता	सरकार आयोग द्वारा सुझाई गई विशेष प्रतिपूरक भत्ते की संशोधित दरों को ध्यान में रखते हुए मिजोरम में विशेष भत्ता (गड़बड़ी वाले क्षेत्र भत्ता) को जारी रखने की आवश्यकता की जांच करे। (अध्याय 17, पैरा 17.12)	स्वीकृत। इसी बीच भत्ता विद्यमान दरों पर दिया जाता रहे।
14. जनजातीय क्षेत्र भत्ता	कुछ स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र भत्ता, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे ही भत्ते के आधार पर स्वीकृत किया गया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते की दरें भिन्न हैं जो 20 रुपए से 50 रुपए मासिक तक हैं। इस भत्ते की दरें वही होनी चाहिएं जिनकी सिफारिश प्रतिकूल जलवायु भत्ते के लिए की गई है। हाल में कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ स्थानों पर जनजातीय क्षेत्र भत्ता स्वीकृत किया गया है, लेकिन इन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। यह भत्ता जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती के लिए एक प्रोत्साहन है और जिन क्षेत्रों में इसकी मंजूरी राज्य सरकारों द्वारा की गई है, वहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाए। (अध्याय 17, पैरा 17.5 और 17.16)	स्वीकृत।
15. जोखिम भत्ता :	कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के जोखिम भत्ते को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। मामले की, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा सकती है। समिति से केवल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए भत्ता मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में जांच करे बल्कि इसकी पर्याप्तता की भी जांच करे। इसी दौरान, विद्यमान दरों में 100 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की जाती है। (अध्याय 17, पैराग्राफ 17.21 से 17.28)	विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने की सिफारिश स्वीकृत। इस बीच मौजूदा दरों पर जोखिम भत्ता देना जारी रखा जाए।

(1)	(2)	(3)

18. यात्रा भत्ता :

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्गीकरण :

यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से संबंधित विभिन्न प्रयोजनों के लिए वेतन का सरल और एक समान समूहीकरण करना वांछनीय है। कर्मचारियों का समूहीकरण निम्नलिखित वेतन के आधार पर किया जाना चाहिए :— स्वीकृत

1. 2800/- रुपए और अधिक
2. 1900/- रु. और अधिक किन्तु 2800/- रुपए से कम
3. 1400/- रुपए और अधिक किन्तु 1900/- रुपए से कम
4. 1100/- रुपए और अधिक किन्तु 1400/- रुपए से कम
5. 1100/- रुपए से कम

(अध्याय 18, पैराग्राफ 18.3)

(ii) सड़क मील भत्ता :

आयकर कर्मचारियों को सड़क मील भत्ता विनिर्दिष्ट दरों से अदा किया जाता है। यह सुझाव दिया गया है कि किराए के वाहन और सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्राओं के लिए निश्चित डेरिफ दरों पर वास्तविक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मील भत्ते की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए। स्वीकृत

(अध्याय 18, पैराग्राफ 18.8)

(iii) यात्रा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा की हकदारी :

हमारे द्वारा सिफारिश किए गए वेतन को ध्यान में रखते हुए यात्रा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा के लिए हकदारी को निम्न प्रकार संशोधित कर दिया जाए : स्वीकृत

वेतन	यात्रा हकदारी
2800/-रुपए और अधिक	एस. सी.-दो टियर स्लीपर/ प्रथम श्रेणी
1900/-रुपये और अधिक किन्तु किन्तु 2800/- रुपये से कम	प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार
1400/-रुपये और अधिक किन्तु 1900/- रुपये से कम	प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार
1100/-रुपये और अधिक किन्तु 1400/- रुपये से कम	द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)
1100/- रुपये से कम	द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)

(अध्याय 18, पैराग्राफ 18.9)

(vi) दैनिक भत्ते की दर :

(क) दैनिक भत्ते की दर निम्नलिखित होनी चाहिए :

इस प्रयोजन के लिए नगरों और स्थानों का श्रेणीकरण वही होगा जो वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किया जाए। स्वीकृत

वेतन	कालम 3 और 4 में वर्णित स्थानों के अलावा	बी-1 श्रेणी के नगर तथा मंहगे स्थान	ए. श्रेणी के नगर तथा विशेष रूप से मंहगे स्थान
1	2	3	4
	रु.	रु.	रु.
2800/- रुपए और अधिक	50	60	75
1900/- रु. और अधिक किन्तु 2800/- रु. से कम	40	50	65
1400/-रु. और अधिक किन्तु 1900/- रु. से कम	35	45	55
1100/-रु. और अधिक किन्तु 1400/- रु. से कम	30	40	50
1100/-रु. से कम	20	25	35

(1)	(2)	(3)

(ख) यदि कर्मचारी किसी होटल अथवा निर्धारित दरों पर आवास और/या भोजन की व्यवस्था करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान में ठहरे तो निम्नलिखित दर पर दैनिक भत्ता दिया जाना चाहिए । — स्वीकृत

1	2	3	4
2800/- रु. और अधिक	105	120	150
1900/- रु. और अधिक किन्तु 2800/- रु. से कम	75	90	125
1400/- रु. और अधिक किन्तु 1900/- रु. से कम	50	65	80
1100/- रु. और अधिक किन्तु 1400/- रु. से कम	40	50	65
1100/- रु. से कम	25	30	40

(अध्याय 18, पैरा 18.3 और 18.4)

(v) स्थानान्तरण अनुदान तथा पैकिंग भत्ता :

सरकार ने स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की हकदारी जनवरी, 1986 में संशोधित की है। वेतनमानों में संशोधन होने से निम्नलिखित के अनुसार एक-मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए । — स्वीकृत

वेतन	एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान	पैकिंग भत्ता
2800 रुपये और अधिक	3000/- रुपए	1200/- रुपए
1900 रुपए और अधिक किन्तु 2800 रुपए से कम	1500/- रुपए	900/- रुपए
1400 रुपए और अधिक किन्तु 1900 रुपए से कम	1000/- रुपए	600/- रुपए
1100 रुपए और अधिक किन्तु 1400 रुपए से कम	600/- रुपए	600/- रुपए
1100 रुपए से कम	450/- रुपए	450/- रुपए

(अध्याय 18, पैरा 18.15)

(vi) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत वस्तुओं का परिवहन :

रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच सड़क द्वारा व्यक्तिगत वस्तुएं ले जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सड़क द्वारा व्यक्तिगत वस्तुओं को ले जाने पर हुए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति अथवा रेल द्वारा ले जाने पर अनुमन्य राशि तथा उस राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि, जो भी कम हो, अदा की जानी चाहिए । — स्वीकृत

(अध्याय 18, पैरा 18.12)

(vii) रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच सामान का परिवहन :

रेल द्वारा न जुड़े स्थानों के बीच सामान ले जाने के लिए प्रतिपूर्ति की वर्तमान दरें जो 1981 में (वस्तुतः 1978 में) निर्धारित की गई थी, दुगुनी कर दी जानी चाहिए। — स्वीकृत

(अध्याय 18, पैरा 18.13)

(viii) स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों की हकदारी :

यदि कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के नए स्थान पर सरकारी आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अपने परिवार को पीछे ही छोड़ना पड़े तो उसे सामान्य यात्रा भत्ते की हकदारी के अलावा जाने और वापसी यात्रा के लिए उसकी हकदारी की श्रेणी तक का अतिरिक्त किराया दिया जाना चाहिए । — स्वीकृत

(अध्याय 18, पैरा 18.14)

(1)	(2)	(3)
	(9) बच्चों के लिए यात्रा सहायता :	
	अनुमोदित छुट्टियों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को निर्धारित शर्तों के अनुसार, यात्रा सहायता की योजना है । यह जारी रहनी चाहिए किन्तु 150 कि.मी. का वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए । (अध्याय 18, पैरा 18.16)	स्वीकृत
	(10) आश्रित संबंधियों के लिए आय की सीमा :	
	आश्रित संबंधियों के लिए 250/- रुपए प्रतिमास की आय की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 500/- रुपए प्रतिमास कर दी जाए। (अध्याय 18, पैरा 18.11)	स्वीकृत
	(11) सामान्य:	
	यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की दरों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यक होने पर उन्हें संशोधित किया जाए। (अध्याय 18, पैरा 18.17)	स्वीकृत

17. सवारी भत्ता

सवारी भत्ते की दरें निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए :

सरकारी ड्यूटी पर औसत मासिक यात्रा	अपनी मोटरकार द्वारा	सवारी के अन्य वाहन द्वारा
	यात्रा के लिए सवारी भत्ते की दर	
201—300 कि.मी.	300 रुपए प्र. मा.	100 रुपए प्र. मा.
301—450 कि. मी.	450 रुपए प्र. मा.	130 रुपए प्र. मा.
451—600 कि. मी.	550 रुपए प्र. मा.	170 रुपए प्र. मा.
601—800 कि. मी.	650 रुपए प्र. मा.	200 रुपए प्र. मा.
800 कि. मी. से अधिक	800 रुपए प्र. मा.	230 पए प्र. मा.

स्वीकृत

सवारी भत्ते की अदायगी के लिए अन्य शर्तें लागू रहेंगी ।
(अध्याय 18, पैरा 18.6)

18. साइकिल भत्ता :

साइकिल भत्ते की दरें, विद्यमान शर्तों पर बढ़ाकर 20/- रुपए प्रतिमास कर दी जाएं।
(अध्याय 18, पैरा 18.7)

स्वीकृत

19. समयोपरि भत्ता।

(i) सरकारी कार्यालयों में समयोपरि अदायगी की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए। जहां की कहीं स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण समयोपरि भत्ता दिया जा रहा हो तो इस कमी को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए । सरकार को काम की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(अध्याय 26, भाग III, पैरा 26.11)

(i) से (iv) समयोपरि भत्ता देना बंद कर दिया जाएगा । विनिर्दिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य भत्ते की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) प्रचालन संबंधी कार्यालयों के मामले में क्षतिपूर्ति लेकर लाभ दान करने की बजाए छुट्टी के रूप में दी जानी चाहिए ।

(अध्याय 26, भाग III, पैरा 26.11)

(1)	(2)	(3)
	(iii) मानदेय के मामले पर भी भलीभांति विचार किया जाना चाहिए जब असाधारण परिस्थितियों में अथवा असामान्य कार्यकलापों के लिए अधिक समय तक रुकने के लिए क्षतिपूर्ति करनी हो। (अध्याय 26, मद III, पैरा 26.11)	
	(iv) सरकार मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ और स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए उपयुक्त दरों पर आउट आफ पाकेट भत्ता और परिवहन भत्ता मंजूर करने पर विचार कर सकती है, जिसमें जहां कहीं आवश्यक हो, एक समेकित विशेष भत्ता भी शामिल है। (अध्याय 26, मद III, पैरा 26.11)	
	(v) सरकार, "रात्रि ड्यूटी भत्ते" अथवा रात्रि के दौरान किए गए काम के घंटों को भार प्रदान करने से संबंधित पूरे मामले की जांच कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकती है क्योंकि इसके विभिन्न पहलू तथा निहितार्थ हैं। इसी दौरान सरकार "रात्रि-ड्यूटी" भत्ते की दरों को पुनः निर्धारित कर सकती है। (अध्याय 26, मद-III, पैरा 26.13)	स्वीकृत। इस बीच मौजूदा दरों पर इस भत्ते की अदायगी करना जारी रखा जाए।
20. छुट्टी की हकदारी :		
	(1) यह सिफारिश की जाती है कि अर्जित अवकाश जमा होने की 180 दिन की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए। यह भी सिफारिश की जाती है कि सेवा-निवृत्ति के समय अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि की सीमा को भी बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए।	स्वीकृत। सभी अधिकारियों को अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे कि किसी भी कर्मचारी को, आमतौर से छुट्टी देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।
	(2) इस समय अध्ययन संबंधी छुट्टी की मंजूरी की शर्तों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी छुट्टी लेने से प्रतिबाधित कर दिया गया है। यदि वह सेवा-निवृत्त होने वाला है अथवा उसे उस तारीख से तीन वर्ष के अन्दर सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है, जिस तारीख को छुट्टी समाप्त होने के बाद उसके ड्यूटी पर वापस आने की संभावना है। "अथवा सेवा-निवृत्त होने का विकल्प प्राप्त है" शब्दों को नियमों से निकाल दिया जाए। विद्यमान नियम स्पष्ट नहीं है कि क्या उन मामलों में भी अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिनमें अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम एक से अधिक अवधि में पूरा किया जाए। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए नियमों को संशोधित किया जाए और अध्ययन छुट्टी को, विद्यमान सीमाओं के अन्तर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो, दो अवधियों में लेने की अनुमति दी जाए।	अध्ययन छुट्टी नियमों को सरल बनाने का काम कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही हाथ में ले रखा है। नियमों में आवश्यक संशोधन जारी होने के बाद, और आगे सरलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
	(3) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिन की दो किस्तों में अर्जित अवकाश जमा करने की मौजूदा पद्धति पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जिन मामलों में कर्मचारियों ने पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई को पहले ही 180 दिन का अर्जित अवकाश जमा कर लिया हो उन्हें होने वाले नुकसान को दूर किया जा सके। (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.2)	अस्वीकृत, क्योंकि इससे उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास पहली जनवरी अथवा पहली जुलाई से पहले कोई छुट्टी जमा नहीं होगी।
21. चिकित्सा सुविधाएं :		
	(क) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आते हों, उन्हें बहिरंग इलाज के लिए 25 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से निश्चित चिकित्सा भत्ता दे दिया जाए। किन्तु कैंसर, मधुमेह आदि जैसी विशेष बीमारियों पर, जिनका रिपोर्ट के पैराग्राफ 16, 16.9 में ब्योरा दिया गया है और अस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले खर्चों, की पहले की भांति सभी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी। (अध्याय 16 पैराग्राफ, 16.9)	स्वीकार नहीं किया गया। आवश्यकता पड़ने पर समुचित इलाज की सुविधा प्रदान करने पर महत्व दिया गया है न कि बिना आवश्यकता के भत्तों के भुगतान करने पर। मौजूदा कमियों को दूर करने और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अलग से कार्यवाई की जा रही है। इस बीच प्रतिपूर्ति योजना जारी रहेगी।
	(ख) माता-पिता, बहनों, विधवा बहनों, नाबालिग भाइयों, तथा बच्चों को सरकारी कर्मचारी, पर आश्रित माना जा सकता है यदि वे उसके साथ रहते हों और यदि उनकी पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान लाभों के बराबर पेंशन की राशि समेत सभी स्रोतों से आय 500/- रुपए प्रतिमाह से कम हो। (अध्याय 16, पैराग्राफ 16.10)	स्वीकार कर लिया गया है।

1	2	3
22.	कार्य घंटे : सरकारी कर्मचारियों के कार्य के घंटों पर जो इस समय 37-1/2 घंटे प्रति सप्ताह हैं, सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाए और उनमें उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने की दृष्टि से यथोचित वृद्धि कर दी जाए,। (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.2)	स्वीकृत । आध घंटा प्रति कार्य दिवस बढ़ाकर कार्य के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह किया जाएगा ।
23.	सेवाओं तथा पदों का वर्गीकरण : वर्गीकरण की मौजूदा पद्धति को जारी रखा जाए और संशोधित समूहवार वर्गीकरण इस प्रकार मौजूदा वर्गीकरण किया जाए :— समूह : ख. कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 2900 रुपए से कम न हो लेकिन 4000 रुपए से कम हो । ग. कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 1150 रुपये से अधिक हो लेकिन 2900 रुपए से कम हो । घ. कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा वेतनमान 1150 रुपए अथवा उस से कम हो । जहां कहीं इस तरह के परिवर्तन हों जिनका उल्लेख पैराग्राफ 26.50 में किया गया है तो उन पदों के मामले में विद्यमान वर्गीकरण को जारी रखा जाए । किन्तु सरकार चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में वर्गीकरण पर पुनर्विचार कर सकती है । (अध्याय 26, पैराग्राफ 26.52)	सांकेतिक रूप से जारी रखा जाएगा।
24	संसदीय कार्य सहायकों को विशेष भत्ता देने संबंधी मौजूदा शर्तों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । इसकी दर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया जाए । (अध्याय 9, पैराग्राफ 9.28)	—स्वीकृत—
25.	सामान्य भविष्य निधि सभी कर्मचारियों के लिए अंशदान की मौजूदा दरों पर भविष्य निधि योजना को अनिवार्य बनाये रखा जाए । भविष्य निधि खाते से किसी भी प्रयोजन के लिए कोई अग्रिम लेने, की अनुमति नहीं दी जाएगी । भविष्य निधि खाते से वापस न की जाने वाली निकासियों को भी सीमित कर दिया जाना चाहिए और केवल बच्चों की उच्च शिक्षा, स्वयं अथवा बच्चों के विवाह, कर्मचारी की बीमारी और मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदने, अपने रहने के लिए मकान/बना-बनाया फ्लैट खरीदने के लिए, जिसमें प्लाट की लागत भी शामिल है, रकम निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए । निकासियों की राशि की सीमा तथा पात्रता शर्तें पहले की भांति ही रखी जाएं, सिवाए किसी मकान खरीदने के लिए निकासी के संबंध में, जिन मामलों में निकाली जाने वाली राशि और/अथवा सेवा की अवधि के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । (अध्याय 20, पैराग्राफ 20.4)	अंशदान को मौजूदा दरों पर सामान्य भविष्य निधि योजना को जारी रखने की सिफारिश स्वीकृत । अग्रिम और निकासी के नियमों को कड़ा बनाये जाने के बारे में दी गई अन्य सिफारिश की जांच की जानी है ।
26.	वेतनवृद्धि : सभी स्तरों पर किन्तु सेवा के सबसे वरिष्ठ स्तरों पर कार्य-निष्पादन से संबद्ध वेतन प्रणाली होनी चाहिए । इस प्रकार वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धियां केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जो पूर्ण संतोषजनक ढंग से सेवा करें । इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमों में संतोषजनक सेवा की परिभाषा शामिल की जाए । कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक उचित मानदण्ड तैयार किया जाए और अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेणी निर्धारित की जाए । जिस कर्मचारी का निरन्तर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन रहे उसे सीमित संख्या में बगैर पेंशन वाले नकद लाभ या दुगुनी दर पर वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी जाए । (अध्याय 7, पैरा 7.60)	स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वेतनवृद्धि को रोकना सी. सी. एस. (सीसीए) नियमों के अंतर्गत एक दंड है । इसलिए वेतनवृद्धि को रोकने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा बन जाएगी और यदि वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली गई तो इसे क्रियान्वित करना प्रशासनिक रूप से कठिन होगा । वेतनवृद्धि की हर क्रम पर समीक्षा करना, कार्यकुशलता के लिए भी सहायक सिद्ध नहीं होगा । बकाएरोध अथवा पदोन्नति के समय इस प्रकार की समीक्षा करना बेहतर होगा ।

(1)	(2)	(3)
27. प्रभावी बनाने की तारीख :		
(i)	सिफारिश किए गए वेतनमानों का लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से देना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक होगा।	अनुबन्ध की मद 1 में दी गई सिफारिशों के संबंध में निर्णय 1 जनवरी, 1986 से लागू किया जाएगा। जनवरी से मार्च 1986 तक की अवधि के संबंध में बकायों की निवल राशि कर्मचारी के जी. पी. एफ./सी.पी.एफ. खाते में जमा कर दी जाएगी सी. पी. एफ. योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार (नियोक्ता) की ओर से कोई तदनुरूपी अंशदान नहीं किया जाएगा।
(ii)	अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशों के बारे में सरकार को, उन्हें किसी उपयुक्त तारीख से लागू करने के लिए, सभी संगत पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें प्रशासनिक तथा लेखा पद्धति संबंधी कार्य भी शामिल है, स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। (अध्याय 31, पैरा 31.2)	संबंधित सरकारी आदेश में प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख कर दिया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th September, 1986

RESOLUTION

No. 14(1)/IC/86—The Fourth Central Pay Commission was set up by the Government of India by Resolution No. 5(56)-E.III/83 dated 29th July, 1983 as amended by Resolution No. 5 (56)-E.III/83 dated 16th February, 1985 and No. 5(56)-E.III/83 dated 8th November, 1985. The Commission submitted on the 30th June, 1986, Part I of its Report relating to structure of emoluments, allowances, conditions of service of Central Government employees including Union Territories, members of All India Services and personnel belonging to the Armed Forces. Government have given careful consideration to the recommendations of the Commission in respect of civilian employees of the Central Government in Group 'B', 'C' and 'D' and have decided that the recommendations of the Commission in respect of these categories of Central Government employees shall be accepted broadly subject to the improvements mentioned below:—

(i) The minimum benefit calculated at 20% of the basic pay according to the pay fixation formula in the revised scales recommended by the Commission will be raised from Rs. 50 to Rs. 75.

(ii) The rates of increment in the first three lowest scales (Group 'D' employees) recommended by the Commission will be improved and the revised pay scales for Group 'D' employees will now be as below:—

Recommended by the Commission	As modified by the Government
Rs. 750-8-790-EB-10-940	Rs. 750-12-870-EB-14-940.
Rs. 775-10-965-EB-12-1025	Rs. 775-12-955-EB-14-1025.
Rs. 800-12-920-EB-15-1070-20-1150	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150.

(iii) The Commission's recommendations relating to scales of pay shall be made effective from 1-1-1986 instead of 1-4-1986 as recommended by the Commission.

(iv) Six-monthly payment of compensation for rise in prices (Dearness Allowance) will be effective from 1st July for payment with the salary for September, and from 1st January for payment with the salary for March, instead of from 1st September and 1st March as recommended by the Commission.

2. The decisions taken by the Government accordingly on the various recommendations of the Commission in respect of Civilian employees of the Central Government belonging to Group 'B', 'C' and 'D' are indicated in the statement annexed to this Resolution. The recommendations made by the Commission which are not included in the Annexure are being examined by the Government and decisions thereon will be taken as early as possible.

3. The Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Commission in dealing with the various complicated issues relating to the emoluments and conditions of service of Central Government employees and presenting a valuable Report.

A. RANGACHARI, Addl. Secy.

ANNEXURE

Statement showing the recommendations of the Fourth Pay Commission relating to employees in Group 'B', 'C' and 'D' and Government's decisions thereon. (References to Chapters and paragraphs in the statement are to the Pay Commission's Report)

Sl. No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decisions of Government
1	2	3
1.	PAY	
	(i) Group 'D' employees in the existing scale of Rs. 160-170 may be allowed the minimum of the lowest recommended scale viz. Rs. 750/- until they are brought over on the regular scale after attaining the prescribed age of recruitment. (Chapter 8, paragraph 8.14)	Accepted.
	(ii) The Commission has recommended in Chapter-8, the following 21 revised scales for the Group 'D', 'C', and 'B' employees : 1. Rs. 750-8-790-EB-10-940 2. Rs. 775-10-965-EB-12-1025 3. Rs. 800-12-920-EB-15-1070-20-1150. 4. Rs. 825-15-900-EB-20-1200 5. Rs. 950-20-1150-EB-25-1400 6. Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 7. Rs. 975-25-1150-EB-30-1540 8. Rs. 975-25-1150-EB-30-1660 9. Rs. 1150-25-1500 10. Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800 11. Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 12. Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040 13. Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200 14. Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300 15. Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 16. Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660 17. Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900 18. Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200. 19. Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 20. Rs. 2000-60-2120 21. Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500 (Chapter 8, paragraphs 8.9 and 8.73)	Accepted subject to following modifications : Scales at S. Nos. 1, 2 & 3 shall be modified as under : 1. Rs. 750-12-870-EB-14-940. 2. Rs. 775-12-955-EB-14-1025. 3. Rs. 800-15-1010-EB-20-1150.
	(iii) The revised pay scales recommended in Chapter 8, shall apply to all posts other than those for which specific recommendations have been made in Chapters 9, 10, 11 and 27. It should be possible to place any post created in future in one or the other scales recommended by the Commission. (Chapter 8, paragraphs 8.9 & 8.72)	Accepted.
	(iv) Specific recommendations have been made by the Commission in Chapters 9, 10, 11 and 27 in regard to revised scales of certain posts or categories of staff.	Accepted subject to certain changes in the pay scales of police personnel which are being notified separately.
2.	In order to provide relief to those who reach the maximum of their pay scale one stagnation increment on completion of every two years at the maximum of the respective scales may be granted to all cadres in Group 'B', 'C' and 'D'. A maximum of three such increments may be allowed. (Chapter 23, paragraph 23.10)	Accepted. The existing conditions regarding grant of stagnation increment will continue.
3.	The pay of employees may be fixed in the proposed scales of pay in the manner laid down in para 30.2 (Chapter 30).	Accepted subject to modification that the minimum benefit shall be Rs. 75/- instead of Rs. 50/-. Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1986, are being issued separately.
	COMPENSATION FOR PRICE RISE	
4.	(i) Till a new index is approved by Government, the All India Average Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (General) (Base 1960=100) may continue to be used for grant of compensation to employees for price rise.	Accepted subject to the modification that compensation for price rise would be paid from 1st July with salary for September and from 1st January with salary for March.
	(ii) Compensation may be paid for the price increase above the 12 monthly index average of 608 (1960=100), to which the pay scales recommended are related.	Note 1 The instalment of Additional Dearness Allowance sanctioned from 1-4-1986 vide Ministry of Finance O.M. No. 13017/1/86-E.II(B) dated 24-6-1986 and the amounts paid pursuant thereof for April, May & June 1986, will be adjusted against the DA payable under revised formula/Arrears on account of revision of pay scales.
	(iii) Compensation may be sanctioned twice a year payable with the salary for March and September.	

1	2	3
	(iv) The percentage increase in the 12 monthly average of the above index for the periods ending December and June each year over index average 608 may be taken in whole numbers only with fractions carried forward.	
	(v) The rate of compensation to the employees over the basic pay at index average 608 may also be in whole numbers with fractions carried forward.	
	(vi) Employees drawing basic pay upto Rs. 3500/- may be allowed 100% neutralisation.	
	(vii) The compensation may continue to be shown as a distinct element of remuneration. (Chapter 13, paragraph 13.20)	
	SPECIAL PAY	
5.	(i) The Commission has suggested revised scales of pay inclusive of special pay in some cases. Keeping in view the scales of pay proposed by it, the Commission has recommended that the existing rates of special pay, wherever admissible, may be doubled subject to a ceiling of Rs. 500/- per month. (Chapter 24, paragraph 24.3)	Accepted. Ministries/Departments concerned will separately undertake the review of posts for which special pay is now admissible with a view to limiting the number of special pay posts and report results of review to Department of personnel and Training before 31-12-1986.
	(ii) Special Pay for Cashiers : Special pay at the following rates may be paid to Cashiers.	

Amount of average monthly cash handled.	Rate of Special Pay per month
Upto Rs. 75,000/-	Rs. 50/-
Over Rs. 75,000/- and upto Rs. 2,00,000/-	Rs. 75/-
Over Rs. 2,00,000/- and upto Rs. 5,00,000/-	Rs. 100/-
Over Rs. 5,00,000/-	Rs. 125/-

Accepted.

(Chapter 11, paragraph 11.56)

6. DEPUTATION DUTY ALLOWANCE

Government may suitably determine the rates of Deputation Allowance with reference to the revised pay scales proposed by the Commission. Deputation Allowance may be given at fixed rates and not as a percentage of pay. (Chapter 24, paragraph 24.5)

Deputation Allowance should be paid at the rate of 5% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 250/- for transfers within the same station and at the rate of 10% of basic pay subject to a ceiling of Rs. 500/- in other cases.

7. COMPENSATORY ALLOWANCES

(i) Classifying cities on the basis of their comparative costlines is a complicated and time consuming process. The suggestion that CCA should be paid at all places is difficult to accept as increases in the general cost of living are compensated by the scheme of payment of dearness allowance from time to time. (Chapter 17, Item 1, paragraph 17.3)

Accepted.

(ii) CCA may be paid to Government employees in the various pay ranges at the fixes rates mentioned below :—

Pay range	Amount of CCA in class of cities (Rs. p.m.)		
	A	B-1	B-2
Below Rs. 950	30	25	20
Rs. 950 and above but below Rs. 1500	45	35	20
Rs. 1500 and above but below Rs. 2000	75	50	20
Rs. 2000 and above	100	75	20

(Chapter 17, Paragraph 17.4)

Accepted except that for 14 special localities, where CCA at the rate applicable to B-2 class city are being paid, fresh orders will be issued separately.

1	2	3

8. HOUSE RENT ALLOWANCE

(i) The existing system of payment of HRA with reference to classification of cities based on population may continue.
(Chapter 14, paragraph 14.25)

Accepted.

(ii) The cities may also continue to be grouped into the existing three classes viz. A, B-1 and B-2 and C. There is a genuine need for payment of HRA in unclassified cities/towns also where it is not admissible at present.
(Chapter 14, Paragraph 14.25)

Accepted

(iii) The payment of HRA to Government employees should be related to the type of Government accommodation to which they are entitled on the basis of pay ranges. Under this arrangement a fixed amount of HRA should be admissible to an employee entitled to a particular type of accommodation and this would not change until there is a change in his entitlement.
(Chapter 14, Paragraph 14.26)

Accepted

(iv) The groupings of employees and the amount of HRA in different classes of cities may be as follows :—

Accepted (applicable to Group 'B' 'C' & 'D' only).

Type of accommodation to which entitled	Pay range in proposed scales for entitlement	Amount of House Rent Allowance payable in		
		A, B-1 & B-2 class cities Rs.	C class cities Rs.	Unclassified places Rs.
A	750-949	150	70	30
B	950-1499	250	120	50
C	1500-2799	450	220	100
D	2800-3599	600	300	150

(Chapter 14, Paragraph 14.27)

(v) HRA at the above rates may be paid to all employees (other) than those provided Government owned/hired accommodation) without requiring them to produce rent receipts. They should, however, be required to furnish a certificate to the effect that they are incurring some expenditure on rent/contributing towards rent. HRA at the above rates may also be paid to Government employees living in their own houses subject to their furnishing a certificate that they are paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.
(Chapter 14, Paragraph 14.27)

Accepted

(vi) The other conditions at present applicable for the grant of HRA in cases where a Government employee shares Government accommodation allotted rent free to another Government employee or resides in Government accommodation allotted to his/her parents, son, daughter, wife or husband, shall continue to be applicable.
(Chapter 14, Paragraph 14.27)

Accepted

(vii) There are also restrictions in some cases on the limit of pay upto which HRA is given. In all places where HRA is presently admissible at 15 per cent of pay, the same may be paid at the rates mentioned at (iv) above for A, B-1 and B-2 class cities. In other cases covered by special orders, HRA may be paid at the rate mentioned at (iv) above for C class cities. In both these cases there should be no upper pay limit for payment of HRA.
(Chapter 14, Paragraph 14.28)

Accepted

(viii) So long as the Government continues to extend payment of HRA in the Union Territory of Goa, Daman and Diu under special orders, it may be paid at rates mentioned at (iv) above for for C class cities.
(Chapter 14, Paragraph 14.29)

Accepted

9. HILL COMPENSATORY ALLOWANCE/ WINTER ALLOWANCE

A composite allowance inclusive of the present HCA and WA should be allowed throughout the year at all places where HCA is presently admissible. The rates may be as follows :

Accepted

Basic pay	Rate of composite HCA per month (Rs.)
Below Rs. 950	50
Rs. 950 and above but below Rs. 1500	70
Rs. 1500 and above but below Rs. 2000	120
Rs. 2000 and above	150

(Chapter 17, Item II, Paragraph 17.8)

Sl. No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decisions of Government

10. BAD CLIMATE ALLOWANCE

Bad Climate Allowance (BCA) is granted to Central Government employees to compensate them for the rigours of service in areas which have a bad climate. The allowance is granted at those places which are declared by State Governments concerned as bad climate areas for grant of allowance to their staff. Payment of BCA on the existing criteria without, however, any upper pay limit should be made at the following rates :— Accepted

Pay Range	Rate of Bad Climate Allowance per month (Rs.)
Basic pay below Rs. 950	20
Basic pay Rs. 950 and above but below Rs. 1500	40
Basic pay Rs. 1500 and above but below Rs. 2000	60
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000	80
Basic pay Rs. 3000 and above	100

(Chapter 17, paragraph 17.14)

11. PROJECT/CONSTRUCTION ALLOWANCE

Central Government employees working at undeveloped and out of the way places in connection with construction of major projects are granted a project/construction allowance, which is primarily intended to compensate them for lack of amenities such as housing, schools, market, dispensaries at the project sites. The allowance is withdrawn in a phased manner as and when these amenities become available at or near the project site. Guidelines for the grant of project allowances and the procedure for sanctioning the same were streamlined by the Government in mid-seventies. The project allowance has also subsequently been extended to non-project employees located in project areas, at 50 per cent of the rates admissible to project employees. No change in the existing guidelines regulating grant of project allowance is necessary but the rates may be revised as follows :— Accepted

Pay Range	Rates of Project Allowance per month (Rs.)
Basic pay below Rs. 950	75
Basic pay Rs. 950 and above but below Rs. 1500	150
Basic pay Rs. 1500 and above but below Rs. 2000	225
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000	300
Basic pay Rs. 3000 and above	375

(Chapter 17, paragraph 17.17)

12. SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE

There is need for rationalising the rates of Special Compentatory Allowance in the nature of border areas allowance, remote locality allowance and difficult area allowance so as to bring about some uniformity in them for places with broadly similar local difficulties, conditions etc. In the case of the Island territories, it will be desirable to have one composite compensatory allowance instead of two different types of allowances. Moreover, these allowances should be paid at flat rates. Keeping in view the pay scales recommended, these allowances may be paid at the following rates :— Accepted

Sl.No.	Areas	Rates of Special Compensatory Allowance per month (Rs.)				
		Basic pay below Rs. 950	Basic pay of Rs. 950 and above but below Rs. 1500	Basic pay of Rs. 1500 and above but below Rs. 2000	Basic pay of Rs. 2000 and above but below Rs. 3000	Basic pay of Rs. 3000 and above
1.	Areas listed at Sl. No. 1 to 10 of the Table given at paragraph 17.9	150	250	350	500	650
2.	Areas listed at Sl. Nos. 11 to 17 of the Table given at paragraph 17.9	125	200	275	400	525
3.	Areas listed at Sl. Nos. 18 to 24 of the Table given at paragraph 17.9	75	150	225	300	375
4.	Areas listed at Sl. Nos. 25 and 26 of the Table given at paragraph 17.9 (Chapter 17, paragraph 17.11)	20	40	60	80	100

Sl. No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decisions of Government
13.	DISTURBED AREA ALLOWANCE IN MIZORAM The need for continuance of Special Allowance (Disturbed Area Allowance) in Mizoram, and rates thereof may be re-examined by Government taking into account the revised rates of special compensatory allowance suggested by Commission. (Chapter 17, paragraph 17.12)	Accepted. Meanwhile the allowance may continue to be paid at the existing rates.
14.	TRIBAL AREA ALLOWANCE Tribal Area Allowance (TAA) has been granted to Central Government employees in a few places on the basis of grant of similar allowance by the respective State Governments to their employees. The rates of the allowance for the Central Government employees are, however, different and range from Rs. 20 to Rs. 50 per month. The rates for this allowance should be the same as recommended for BCA. TAA has recently been sanctioned in a few places by some State Governments to their employees, but it has been extended to Central Government employees in those areas. The TAA is intended as an incentive for posting in Tribal Areas and it may be extended to Central Government employees in areas where it has been sanctioned by State Governments. (Chapter 17, paragraphs 17.15 and 17.16)	Accepted
15.	RISK ALLOWANCE There have been suggestions for rationalising risk allowance to various categories of employees exposed to hazards. The matter may be examined by an Expert Committee to be appointed by Government for the purpose. The Committee should not only examine the need for grant of allowance for different categories of employees but also its adequacy. In the meantime, 100% increase in the existing rates is recommended. (Chapter 17, paragraphs 17.21 to 17.23)	The recommendation for appointing an Expert Committee is accepted. In the meantime risk allowance may continue to be paid at the existing rates.
16.	TRAVELLING ALLOWANCE	
	(i) GRADATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES It it desirable to make the groupings by pay range simple and uniform for various purposes relating to payment of TA and DA. The Grouping of employees should be made into the following pay ranges :— (i) Rs. 2800 and above. (ii) Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800. (iii) Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900. (iv) Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400 (v) Below Rs. 1100 (Chapter 18, paragraph 18.2)	Accepted
	(ii) ROAD MILEAGE ALLOWANCE At present road mileage allowance is paid to the employees at specified rates. It has been suggested that for journeys by hired conveyance and public transport the actual charges at the scheduled tariff rates should be reimbursed. The rates of mileage allowance should be revised by Government with due regard to the rates prescribed for Delhi by the Competent Authority. (Chapter 18, paragraph 18.8)	Accepted
	(iii) ENTITLEMENT FOR JOURNEY BY RAIL ON TOUR AND TRANSFER Taking into consideration the pay ranges recommended by us, the entitlements for journey by rail on Tour and Transfer may be revised as under :—	Accepted

Pay range	Travel entitlement
Rs. 2800 and above	AC two-tier sleeper/First Class
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800	First Class/AC Chair Car
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900	First Class/AC Chair Car
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400	Second Class (Sleeper)
Below Rs. 1100	Second Class (Sleeper)

(Chapter 18, paragraph 18.9)

Sl. No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decisions of Government

(iv) RATES OF DAILY ALLOWANCE

(a) The rate of daily allowance should be as mentioned below : the classification of cities and localities for the purpose will be the same as decided by the Ministry of Finance from time to time. — Accepted

Pay Range	Localities other than those mentioned in Cols. 3 & 4	B-I Class cities and expensive localities	A-Class Cities and specially expensive localities
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
Rs. 2800 and above	50	60	75
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800	40	50	65
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900	35	45	55
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400	30	40	50
Below Rs. 1100	20	25	35

(b) Daily allowance at following rates should be given when employees stay in hotel or other establishment providing board and/or lodging as scheduled tariffs: — Accepted

Rs. 2800 and above	105	120	150
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800	75	90	125
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900	50	65	80
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400	40	50	65
Below Rs. 1100	25	30	40

(Chapter 18, paragraphs 18.3 and 18.4)

(v) TRANSFER GRANT AND PACKING ALLOWANCE

Government have revised the transfer TA entitlements in January, 1986. With the revision of pay scales lump sum transfer grant and packing allowance should be revised as follows: — Accepted

Pay Range	Lump sum transfer grant	Packing allowance
Rs. 2800 and above	3000/-	1200/-
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800	1500/-	900/-
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900	1000/-	600/-
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400	600/-	600/-
Below Rs. 1100	450/-	450/-

(Chapter 18, paragraph 18.15)

(vi) TRANSPORTATION OF PERSONAL EFFECTS BETWEEN PLACES CONNECTED BY RAIL

For Carriage of personal effects by road between places connected by rail, the Government employees should be reimbursed the actual expenditure on transportation of personal effects by road or the amount admissible on transportation by railway and an additional amount of not more than 25 per cent thereof, whichever is less. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.12)

(vii) TRANSPORTATION OF GOODS BETWEEN PLACES NOT CONNECTED BY RAIL

The present rates of reimbursement for transportation of goods between places not connected by rail, which were fixed in 1981 (actually 1978), should be doubled. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.13)

Sl. No.	Recommendations of the Fourth Pay Commission	Decisions of Government

(vii) ENTITLEMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES ON TRANSFER

The employees should be allowed an additional fare by the entitled class for both onward and return journey, in addition to the normal transfer TA entitlement, if he has to leave his family behind because of non-availability of government residential accommodation at the new place of posting. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.14)

(ix) TRAVEL ASSISTANCE FOR CHILDREN

There is a scheme of travel assistance for children of Central Government employees during approved vacations, subject to stipulased conditions. This may continue except that the present restriction of 150 Km. should be dispensed with. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.16)

(x) INCOME CEILING FOR DEPENDENT RELATIVES

The income ceiling of Rs. 250/- per mensem for dependent relatives should be raised to Rs. 500/- per mensem. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.11)

(xi) GENERAL

Rates of the TA/DA may be reviewed by Government periodically and revised as and when necessary. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.17)

17. CONVEYANCE ALLOWANCE

The rates of conveyance allowance should be revised as mentioned below: — Accepted

Average monthly travel on Official duty	Rates of conveyance allowance for journeys by	
	Owned Motor car	Other modes of conveyance
201-300 Km	Rs.300/- p.m.	Rs. 100/- p.m.
301-450 Km	Rs. 450/- p.m.	Rs. 130/- p.m.
451-600 Km.	Rs. 550/- p.m.	Rs. 170/- p.m.
601-800 Km.	Rs. 650/- p.m.	Rs. 200/- p.m.
Above 800 Km.	Rs. 800/- p.m.	Rs. 230/- p.m.

Other conditions of drawal of conveyance allowance will continue to apply.

(Chapter 18, paragraph 18.6)

18. CYCLE ALLOWANCE

The rates of cycle allowance may be raised to Rs. 20/- per mensem, subject to the existing conditions. — Accepted

(Chapter 18, paragraph 18.7)

19. OVERTIME ALLOWANCE

(i) The present system of payment of overtime in Government offices should be discontinued. Whenever overtime allowance expenditure is being incurred due to inadequacy of staff, it should be made up expeditiously. Government should provide the necessary staff consistent with the requirement of work.
(Chapter 26, Item III, paragraph 26.11) — (i) to (v) Payment of OTA shall be discontinued. Extra work allowance shall be allowed under prescribed conditions for specific categories of employees.

(ii) For operative offices the compensation should be in the form of off days rather than by way of cash benefits.

(Chapter 26, Item III, paragraph 26.11)

(iii) Honorarium should be considered only for compensating the overstayal during periods of unusual activity or due to unforseen circumstances.

(Chapter 26, Item III, paragraph 26.11)

Sl. No.	Recommendations of Fourth Pay Commission	Decisions of the Government
	(iv) Government may also consider granting out of pocket expenses and transport charges for personal staff and drivers of staff car of Ministers and senior officers at suitable rates including a consolidated special allowance wherever necessary. (Chapter 26, Item III, paragraph 26.11)	
	(v) Government may consider advisability of having the entire matter relating to "Night duty allowance" or weightage for hours of work performed during night, examined as it has various aspects and implications. In the meantime Government may refix the rates of "Night duty" allowance. (Chapter 26, Item III, paragraph 26.13)	(v) Accepted. In the meantime payment of this allowance may continue at the existing rates.
20.	LEAVE ENTITLEMENTS	
	(i) It is recommended that the existing limit of 180 days on accumulation of Earned Leave may be raised to 240 days. It is also recommended that the limit of encashment of E.L. at the time of retirement may also be raised to 240 days.	Accepted. Instructions will be issued separately to all authorities to ensure that leave shall not ordinarily be denied to any employee.
	(ii) At present the conditions for grant of study leave preclude a Government employee from availing of such leave if he is due to retire or has option to retire from Government service wishin three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of leave. The words "or has the option to retire" may be deleted from the rules. The present rules are not clear whether study leave can be granted in cases where the course of study is completed in more than one spell. The rules may be modified to make position clear and study leave, subject to existing limits be permitted in two spell as where necessary.	An exercise to simplify Study Leave Rules has already been undertaken by Department of Personnel and Training. With the issue of necessary amendments to the Rules, there will be no need to bring further simplification.
	(iii) The present procedure of crediting E.L. in two instalments of 15 days each on January and July 1st of every calendar year may be reviewed to remove disadvantages to employees in cases where they have already accumulated 180 days E.L. before January 1st or July 1st. (Chapter 26, paragraph 26.2)	Not accepted as it will adversely affect employees having no leave at their credit before January 1st or July 1st.
21.	MEDICAL FACILITIES	
	(a) For employees covered by medical re-imbursement scheme a fixed medical allowance of Rs. 25 per month for out door treatment may be paid. However, the expense incurred on the special diseases like cancer, diabetes etc. as detailed in paragraph 16.9 of the Report and hospitalisation may continue to be re-imbursed to all employees as at present. (Chapter 16, paragraph 16.9)	Not accepted. The emphasis is on providing adequate medical care where needed and not on disbursement of allowances irrespective of need. Separate action is being taken to eliminate the existing weaknesses and for extension of C.G.H.S. coverage. Meanwhile, the re-imbursement scheme will continue.
	(b) Parents, sisters, widowed sisters, minor brothers, and children may be deemed to be dependent on the Government employee if they are residing with him and if their incomes from all sources including pension and pension equivalent of DCRG benefits is less than Rs. 500 per month. (Chapter 16, Paragraph 16.10)	Accepted.
22.	HOURS OF WORK:	
	Working hours of office staff which are at present 37-1/2 hours a week may be reviewed by Government and increased suitably keeping in view the need to maintain and improve the level of productivity. (Chapter 26, Paragraph 26.6)	Accepted. Number of working hours shall be increased to 40 hours per week by adding half an hour per working day.
23.	CLASSIFICATION OF SERVICES AND POSTS: The present system of classification may be continued and the revised groupwise classification may be as follows:	Existing classification shall be continued notionally.

Sl. No.	Recommendations of Fourth Pay Commission	Decisions of the Government
	Group B. A central civil post carrying a pay or scale of pay with a maximum of not less than Rs. 2900 but less than Rs. 4000. C. A central civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum over Rs. 1150 but less than Rs. 2900. D. A central civil post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 1150 or less. Wherever there are deviations of the nature mentioned in paragraph 26.50 the existing classification for those posts may continue. Government may, however, review the classification in such cases as and when necessary. (Chapter 26, Paragraph 26.52)	
24.	No change is necessary in the existing conditions for the grant of special allowance to Parliament Assistants. Its rate may be increased from Rs. 200 to Rs. 300. (Chapter 9, Paragraph 9.28)	Accepted.
25.	GENERAL PROVIDENT FUND: Provident Fund scheme may continue to be compulsory for all employees at the existing rates of contribution. No advance shall be permitted from Provident Fund Account for any purpose whatsoever. Non-refundable withdrawals from the provident fund account should also be restricted and allowed only for purposes of higher education of children, marriage of self or children illness of the employee and for purchasing a house site for building a house thereon, building/acquiring a house or a built flat for his residence including cost of the site. The limits and eligibility conditions for withdrawals may continue to be as at present except that in respect of withdrawal for owning a residence, there may be no restrictions on the amount to be withdrawn and/or the service rendered. (Chapter 20, paragraph 20.4)	Recommendations to continue GPF scheme at the existing rates of contribution accepted. The other recommendation to tighten rules for advance and withdrawals to be examined.
26.	INCREMEMT : There should be a system of performance related pay at all but the most senior levels of service. The increments in scales of pay may thus be admissible only to those who give fully satisfactory service. For this purpose, the definition of satisfactory service may be provided in the Service Rules. A suitable criterion may be formulated for performance evaluation and rating may be made annualy by a Committee of Officers. An employee who gives consistent excellent performance should be considered for a limited number of non-pensionable cash benefits or increment at double the rate. (Chapter 7, paragraph 7.60)	Not accepted as withholding of an increment is a penalty under the CCS (CCA) Rules, 1965. The procedure, therefore, for withholding of increment would become very cumbersome and if the recommendations of the Pay Commission are accepted, it would be administratively difficult to implement. It will also not be conducive to efficiency that every stage of increment should be so reviewed. Such a review should better be done at the stage of crossing of Efficiency Bar or for promotion.
27.	DATE OF EFFECT (i) It would be administratively convenient to give the benefit of the scales of pay recommended from the beginning of the current financial year.	The decision on the recommendations listed at item-1 of the annexure shall be made applicable with effect from 1st January, 1986. The net amount of arrears for the period January to March, 1986 will be deposited in the GPF/CPF Account of the employees. In the case of employees covered by CPF scheme, there will be no corresponding contribution from Government's (Employer's) side.
	(ii) In regard to recommendations on other matters, Government will have to take specific decisions to give effect to them from a suitable date, keeping in view all relevant aspects, including the administrative and accounting work. (Chapter 31, paragraph 31.2)	Date of effect will be specified in the relevant Government orders.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986